माननीय उपसभापति जी, मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से, भारत की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष' घोषित किया है और भारत की इस पहल का 72 देशों ने समर्थन किया है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की सरकार की नीति अत्यंत सराहनीय है। भारत मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। मोटे अनाज के कुल वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत उत्पादन भारत ही करता है। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके अलावा, इसकी खेती में कम पानी की खपत होती है, इसलिए पोषण के साथ-साथ इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होता है। मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने से उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी और कृषि को लाभ का धंधा बनाने का हमारा सपना भी पूरा होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के प्रति मोटे अनाज की उपयोगिता को लेकर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और रचनात्मक जनभागीदारी में वृद्धि की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Children falling into open borewells in the country

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूं। मैं पहली बार सदन में बोल रही हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पूरे देश में ट्यूबवैल और बोरवैल के गड्ढों में गिरने के कारण न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां समाप्त हो रही हैं, यह हमारे लिए एक गम्भीर चिंता का विषय है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं - तमिलनाडु के त्रिची शहर में बोरवैल में गिरने से दो साल के सुजीत विल्सन को चार दिन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जीवित नहीं बचाया जा सका। इसी प्रकार पंजाब के संगरूर जिले में 150 फीट गहरे बोरवैल में गिरे तीन साल के फतेहवीर को भी नहीं बचाया जा सका। उसी प्रकार हरियाणा में कुरुक्षेत्र के हरदा खेड़ी गांव में पांच वर्षीय प्रिंस के बोरवैल में गिरने की घटना भी है। देश भर में ऐसी कई घटनाएं हैं और कई घटनाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन टीवी पर लाइव भी दिखाया गया है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान ऐसी घटनाओं की ओर गया है।

महोदय, ऐसे भयावह हादसों को देखते हुए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बोरवैल के रख-रखाव संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये थे। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि खुले बोरवैल के चारों तरफ तार या अन्य किसी जरिये से एक बाड़ अवश्य बनाई जाए, ताकि नन्ही मासूम जानों को बोरवैल के गड्ढों में गिरने से बचाया जा सके। सवाल यह भी है कि आखिर कब तक बार-बार होने वाले दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवैल और ट्यूबवैल के गड्ढे ऐसे ही खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तक इनमें गिरकर नन्ही जानें अपनी जान गंवाती रहेंगी? जब-जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो पता चलता है कि न तो आम-जन और न प्रशासन इन घटनाओं से कोई सबक लेता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अति संवेदनशील विषय के लिए सरकार से यह आग्रह करती हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं का दोहराव फिर न हो सके, धन्यवाद।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्री उपसभापति : माननीय श्री विनय दीनू तेंदुलकर जी, आप कोंकणी में बोलेंगे।

Need to reinstate the laid-off temporary employees of Postal Department in Goa

श्री विनय दीनू तेंदुलकर (गोवा) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे मेरी मातृभाषा कोंकणी में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

^{*"}Thank, Mr. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak in my mother tongue Konkani. Sir, for the last 20 years, Postmen in Goa's Post-offices were working on a contractual basis. Now suddenly they are fired from their work without proper notice. Most of them are in the 45-50 age groups. At this age, when they are jobless, they still have their family responsibilities, their kids are still studying, and some of them have even taken loans.

Sir, through you I would like to request the Government to instruct the concerned officials to hire them back. Thank you, Sir."

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Need for capacity enhancement to deal with cyber-attacks

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, around five million people globally have had their data stolen and sold on the bot market till date. Out of which, six lakhs are from India, making it the worst affected country according to one of the world's largest VPN service providers Nord VPN. Sir, Nord VPN has its offices in Lithuania, UK, Panama and Netherland.

 $^{^{*}}$ English translation of the original speech delivered in Konkani.